A

न्यायालयः न्यायाधीश, बालक न्यायालय, कोटा
(सेशन न्यायाधीश, कोटा)

Presiding Officer : SATYANARAYAN VYAS
Date of the Judgement : 16.06.2026
CNR No. RJKT010079242024
Session Case No. 520/2024
(Details of FIR No. - 115/2024 PS Kanwas, Distt. Kota Rural

Complainant	State of Rajasthan
PRESENTED BY	श्री मनोज पुरी विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य
APPEALLANT/ACCUSED	बन्टी उर्फ सज्जाद हुसैन पुत्र शाकिर हुसैन, निवासी कनवास, थाना कनवास जिला कोटा (राजस्थान)
REPRESENTED BY	विद्वान अधिवक्ता श्री एम.एम.केसरी, वास्ते अभियुक्त

B

Date of Offence	11.06.2024
Date of FIR	11.06.2024
Date of Charge sheet	18.12.2024
Date of Framing of Charges by trial court	13.02.2025
Date of commencement of evidence	14.05.2025
Date on which judgment is reserved	NIL
Date of the Judgment by trial court	
Date of the Sentencing Order, if any	NIL

PART-II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness,

Authenticated Document

		Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
P.W.1	पतराम	फरियादी, फर्द संरक्षण एवं दस्तयाबी,फर्द फोटोग्राफी,नक्शा मौका घटनास्थल, प्रमाण पत्र धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम
P.W.2	ममता शर्मा	उम्र संबंधी दस्तावेज बाबत
P.W.3	दिनेश कुमार	चक्षुदर्शी साक्षी (पुलिस टीम सदस्य) ताईद फर्द संरक्षण व दस्तयाबी बालक, फर्द फोटोग्राफी, नक्शा मौका घटनास्थल
P.W.4	राजेन्द्र	बंटी मारूती वर्कशॉप दुकान का मालिक
P.W.5	हरिराम	चक्षुदर्शी साक्षी (पुलिस टीम सदस्य) ताईद फर्द संरक्षण व दस्तयाबी बालक, फर्द फोटोग्राफी, नक्शा मौका घटनास्थल
P.W.6	श्यामाराम	चार्जशीट कता कर्ता
P.W.7	मुकेश शर्मा	अनुसंधान अधिकारी

B. Defence Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
निल	निल	निल

C. Court Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
निल	निल	निल

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

S.No.	Exhibit Number	Description

1	प्रदर्श पी-1	फर्द संरक्षण एवं दस्तयाबी किशोर "B"
2	प्रदर्श पी-2	फर्द फोटोग्राफी प्रपत्र किशोर "B"
3	प्रदर्श पी-3	किशोर को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का फार्म नम्बर-17
4	प्रदर्श पी-4	नक्शा मौका घटनास्थल
5	प्रदर्श पी-5	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
6	प्रदर्श पी-6	थानाधिकारी पुलिस थाना कनवास द्वारा प्रधानाचार्य रा.उ.मा.विद्यालय घानाहेड़ा जिला कोटा को लिखा पत्र
7	प्रदर्श पी-7	प्रधानाध्यापक रा.उ.प्रा. विद्यालय घानाहेड़ा द्वारा किशोर "B" का जारी प्रमाण पत्र
8	प्रदर्श पी-8 ए	प्रवेश रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
9	प्रदर्श पी-9 ए	किशोर "B" का प्रवेश आवेदन पत्र
10	प्रदर्श पी-10	चार्जशीट
11	प्रदर्श पी-11	अभियुक्त को धारा 41(A)(1) का नोटिस मय जवाब
12	प्रदर्श पी-12 व 13	किशोर "B" के फोटोग्राफ्स

B. Defence:

S.No.	Exhibit Number	Description
	निल	निल

C. Court Exhibits:

S.No.	Exhibit Number	Description
निल	निल	निल

D. Material Objects:

S.No.	Exhibit Number	Description
	निल	निल

आरक्षी केन्द्र कनवास, जिला कोटा ग्रामीण की ओर से अभियुक्त बन्टी उर्फ सज्जाद हुसैन के विरुद्ध अपराध धारा 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की

देखभाल और संरक्षण) अधिनयम 2015 एवं धारा 3ए, 7, 14 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिनांक 18.12.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण संस्थित किया गया।

2. अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के सुसंगत एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि फरियादी पतराम सहायक उप निरीक्षक ने दिनांक 11.06.2024 को एक फर्द संरक्षण एवं दस्तयाबी बाल/कुमार श्रमिक "B" थानाधिकारी पुलिस थाना कनवास, कोटा ग्रामीण पर इस आशय की पेश की उक्त दिनांक को वह मय जाब्ता मय प्राईवेट कार मय अनुसंधान सामग्री मय मिनी लेपटॉप प्रिन्टर मय यूपीएस के गश्त व आपरेशन उमंग-3, बाल श्रम रोकथाम हेतु थाने से 4.08 पीएम पर सादा वस्त्रों में रवाना होकर बाल श्रम की रोकथाम हेतु आवां तिराया कनवास होता हुआ बस स्टेण्ड कनवास की तरफ जा रहा था। जैसे ही एबीजेएम स्कूल के पास आम रोड कनवास पहुंचा तो कोटा मारूति वर्कशॉप पर एक बालक गाड़ियों की साफ सफाई करता एवं गाड़ी का टायर खोलकर साफ सफाई करता हुआ नजर आया जिसके नजदीक जाकर बालक के कार्य करते की फोटोग्राफी उसके स्वयं के निजी मोबाइल से की गई। फर्द फोटोग्राफी पृथक से तैयार की गई। बाल श्रम करने वाले बालक को डिटेन किया गया। बालक से पूछताछ व बाल श्रम करवाने वाले व्यक्ति का नाम पूछने के लिए स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु दिनेश कानि.833 को रवाना किया जिसने करीब दस मिनट बाद वापस आकर बताया कि कोई भी व्यक्ति आपसी रंजिश की वजह से स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ ना ही अपना नाम पता बताया। इस पर उसने भी आम रोड़ पर आने जाने व्यक्तियों से नाम पते पूछे तो किसी ने भी अपना नाम पता नहीं बताया और ना ही कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार हुआ। इस पर हमराही जाब्ता में से दिनेश कानि. व हरिराम कानि. को स्वतंत्र गवाह मामूर कर डिटेनशुदा बालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना "B" पुत्र धर्मराज उम्र 16 वर्ष 6 माह निवासी घानाहेड़ा थाना सांगोद जिला कोटा का होना बताया तथा कक्षा 9वीं फेल होने के बाद से ही पिछले करीब 1 माह से कोटा मारूति वर्कशॉप का मालिक बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन पुत्र शाकीर हुसैन निवासी कनवास के वर्कशॉप पर काम करता है। वह सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक काम करता है और जिसके बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन उसे 50-60 रुपये रोजाना के हिसाब से देते हैं। वह वर्कशॉप पर आने वाली गाड़ियों की साफ सफाई, टायर खोलना, जोड़ना, पार्टस खोलना व जोड़ना तथा रिपेयरिंग का कार्य करता है। कोटा मारूति वर्कशॉप का मालिक बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन द्वारा बिना सेफ्टी उपकरणें के बिना विश्राम दिये लगातार 11-12 घण्टे

से अधिक काम करवाकर बच्चों का आर्थिक शोषण कर कम मजदूरी देकर काम करवता है। इस प्रकार उक्त वर्कशॉप संचालक बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन द्वारा धारा 3ए 3ए, 7/14 बालक और कुमार श्रम अधिनियम 2016 व 75, 79 जे. जे. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से बालक को संरक्षण में सादा वस्त्रों में लिया गया। मारुति वर्कशॉप संचालक को तलाश किया परन्तु मौके पर मौजूद नही मिला। फर्द में "B" की कद काठी, रंग, लम्बाई आदि अंकित की। उक्त फर्द संरक्षण एवं दस्तयाबी के आधार पर प्रथम सूचना संख्या- 115/2024 आरक्षी केन्द्र कनवास, जिला कोटा ग्रामीण पर संस्थित होकर बाद आवश्यक अन्वेषण अभियुक्त के विरुद्व उक्तानुसार आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त बन्टी उर्फ सज्जाद हुसैन को अपराध अन्तर्गत धारा 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम एवं धारा 3ए, 7, 14 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप गवाह पी.डब्ल्यू.-1 लगायत पी.डब्ल्यू.-7 की साक्ष्य लेखबद्व करवाई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-13 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्व किये गये। जिनमें उनके द्वारा पत्रावली पर आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा कथन किया कि वह निर्दोष है एवं उसे झूंठा फंसाया गया है। प्रतिरक्षा स्वरूप कोई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

6. बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का परिशीलन किया गया। इस प्रकरण के निर्णय हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होता हैः-

1. आया अभियुक्त ने दिनांक 11.06.2024 को समय 04.40 पीएम के पूर्व वाके मारुति वर्कशॉप एसबीजेएम स्कूल के पास आम रोड़ करवास जिला कोटा पर किशोर "B" से बाल श्रम करवाकर उसको शारीरिक रूप से कष्ट देकर उत्पीड़न किया और बाल श्रम करवाने के लिए उसे नियोजन के प्रयोजनार्थ बंधुआ रखा तथा उसके द्वारा किये जा रहे उपार्जन को व्वयं के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया। अभियुक्त ने बालक "B" जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, से प्रतिदिन 8 घण्टे से अधिक अपने मारुति वर्कशॉप पर मजदूरी करवाई गई?
2. यदि हाँ तो उचित दण्ड क्या होगा?

7. उक्त विचारणीय बिन्दु के परिप्रक्ष्य में बहस के अंतर्गत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि पी.डब्ल्यू. 1 पतराम, पी.डब्ल्यू. 3 दिनेश कुमार व पी.डब्ल्यू. 5 हरिराम मौके पर गए हैं जहां उन्होंने बालक को अभियुक्त की वर्कशॉप पर काम करते हुए देखा है। पतराम के द्वारा बालक की काम करते हुए फोटोग्राफी की गई है और पी.डब्ल्यू. 1 पतराम ने फोटोग्राफ्स को प्रदर्शित कराया है। बालक 16 वर्ष 6 माह का था और सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक लगातार 12-13 घण्टे काम करता है जिसके अभियुक्त उसे 50-60 रुपए रोजाना के हिसाब से देता है। अतः पत्रावली पर यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा बालक से अपनी वर्कशॉप पर लगातार 13 घण्टे तक मजदूरी करवाकर उसको शारीरिक रूप से कष्ट देकर उसका उत्पीड़न किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि बालक की उम्र 16 वर्ष से ऊपर थी, अतः इसमें धारा 3 बाल श्रम अधिनियम लागू नहीं होती है। उनका यह भी तर्क है कि किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि बालक से 11-12 घण्टे तक लगातार 50-60 रुपए देकर काम कराया जा रहा हो, किसी भी गवाह ने नहीं कहा है कि बालक का शोषण किया जा रहा हो क्योंकि कोई भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया है। स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 7 मुकेश शर्मा ने यह स्वीकार किया है कि जिस रोड पर दुकान है उस रोड से थाने की गाडियां प्रतिदिन दो तीन बार गुजरती हैं परन्तु उसने घटना से पहले उक्त बालक को अभियुक्त की दुकान पर कभी काम करते हुए नहीं देखा है। अभियोजन की ओर से ऐसे भी किसी गवाह को पेश नहीं किया गया है जिसने बालक को वहां काम करते हुए देखने का कथन किया हो। उनका यह भी तर्क है कि जहां पी.डब्ल्यू. 3 दिनेश कुमार कहता है कि बालक को बिना कहे उसका फोटो खींचा था वहीं पी.डब्ल्यू. 5 हरिराम कहता है कि फोटो लेने से पहले बालक को कहा था कि उसका फोटो ले रहे हैं। बालक का काम करते हुए फोटो पेश नहीं किया गया है, दुकान का कोई नाम आ रहा हो ऐसा भी कोई फोटो पेश नहीं किया गया है, फोटोग्राफ में कार का फोटो आ रहा है लेकिन उक्त कार के मालिक को पेश नहीं किया गया है जो यह कह सकता था कि बालक ने उसकी कार का कोई काम किया हो। बालक और उसके माता पिता को भी पेश नहीं किया है न ही वर्कशॉप का कोई रजिस्टर आदि जब्त किया गया है जिससे यह साबित हो कि उक्त बालक अभियुक्त की वर्कशॉप में रोजाना करीब 13 घण्टे काम करता हो। अतः अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराधों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

9. उभयपक्ष के पक्षकथनों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित प्रश्नगत आरोप के संबंध में पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो अभियोजन साक्षी संख्या-1 पतराम ने सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 11.06.2024 को पुलिस थाना कनवास कोटा ग्रामीण पर एएसआई के पद पर कार्यरत था तथा उस दिन वह कार्यवाहक थानाधिकारी का भी कार्य कर रहा था। उस दिन उमंग तृतीय के अभियान के दौरान बाल श्रमिकों से करवाई जाने वाली मजदूरी व बंधुआ मजदूरों की चैकिंग करता हुआ सादा वस्त्रों में मय जाब्ता दिनेश कुमार कानि. व हरिराम कानि. 343 मय प्राइवेट वाहन मय अनुसंधान बॉक्स के थाना से रवाना होकर कनवास की तरफ जा रहा था। कस्बा कनवास आम रोड़ के किनारे एसवीजेएम स्कूल के पास एक वर्कशॉप पर नाबालिग बच्चा भरी गर्मी में मेहनत मजदूरी करता हुआ नज़र आया। मौके पर ही बालक की फोटोग्राफी उसके फोन से की गई थी। उसने बालक का नाम पता पूछ कर उसकी उम्र की जानकारी की तो बालक ने उसकी उम्र 16.5 वर्ष बताई एवं अपना नाम "B" पुत्र धर्मराज बताया एवं वर्कशॉप मालिक शहजाद उर्फ बंटी की दुकान होना मालूम हुआ एवं बालक ने भी बताया कि आंशिक मजदूरी देकर समय से ज्यादा काम करवाया जाता है। इस पर बालक को मौके पर ही डिटेन कर बाल आश्रय में दिए जाने हेतु हमराह लेकर वापसी थाने पर आया। वापसी थाना पर वर्कशॉप मालिक बंटी उर्फ शहजाद के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया एवं बालक को फार्म नंबर 17 पर बाल आश्रय दिलाने हेतु कोटा रवाना किया गया। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान उसके द्वारा मुकेश कुमार हैड कानि. के जिम्मे किया गया। फर्द दस्तयाबी बालक "B" प्रदर्श पी-1 है, जिस पर ए से बी दो जगह पर उसके हस्ताक्षर है व सी से डी बालक "B" के हस्ताक्षर है। फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी-2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फार्म नंबर 17 प्रदर्श पी-3 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी बालक "B" के हस्ताक्षर है। प्रकरण के आईओ मुकेश कुमार हैड कानि. ने उसकी निशादेही से घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया गया था जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मौके पर बालक "B" के लिए गए फोटोग्राफ्स के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र दिया गया था जो प्रदर्श पी-5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

10. दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि घटनास्थल से करीब पचास साठ मीटर की दूरी पर पेट्रोल पम्प है, उक्त दुकान के आस-पास अन्य दुकानें हैं तथा पास में ही एक मकान भी है। यह सही है कि घटना स्थल के पास में एसवीजेएम

Authenticated Document

स्कूल भी है, उक्त दुकान पक्की बनी हुई है और आम रोड़ पर ही है। यह सही है कि यदि कोई व्यक्ति बच्चों के साथ सफर कर रहा हो और उसकी गाड़ी खराब हो जाए और वह अपनी गाड़ी को सही करवाने लेकर जाए तो बच्चे भी उसके साथ जाते हैं। उसने बालक "B" के बयान नहीं लिए थे। यह सही है कि उसने बालक की दस्तयाबी के समय उसके माता पिता को बुलाकर कोई पूछताछ नहीं की। यह सही है कि स्वतंत्र गवाह बनने के लिए किसी व्यक्ति के नाम पते नोट नहीं किए और न ही किसी ने अपने नाम पते बताए। मौके पर उस समय आस पास रहने वाले व दुकान वालों से इस प्रकरण के संबंध में पूछताछ नहीं की गई। मुलजिम बंटी चार पहियों वाली गाड़ी सही करने का काम करता है। दो पहिया वाहन का काम करता है या नहीं, वह नहीं बता सकता। बंटी वहां पर कब से दुकान लगा रहा था, इसके संबंध में उसने उससे पूछताछ नहीं की। उसे उक्त संपूर्ण कार्यवाही करने में लगभग डेढ घंटे का समय लगा था। बंटी उर्फ शहजाद की दुकान पुलिस थाना कनवास से दो किलोमीटर की दूरी पर है। यह गलत है कि उक्त दुकान के सामने से पुलिस थाना कनवास की गाड़ी निकलती हो, स्वयं कहा कि थाने पर एकमात्र सरकारी वाहन है जो इस रूट पर सरकारी कार्य होने पर ही जाती है। यह सही है कि चमन चौराहा उक्त दुकान से आगे पड़ता है एवं चमन चैराहे पर जाना हो तो अस्पताल रोड़ व इस दुकान के सामने से भी जाया जा सकता है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या-2 ममता शर्मा ने सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 18.06.2024 को वह कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, घानाहेड़ा सांगोद कोटा में पदस्थापित थी। उक्त दिनांक को पुलिस थाना कनवास से दो लोग उनके विद्यालय में आए थे एवं उन्होने बालक "B" बैरवा के जन्म तिथि प्रमाणित करने संबंधी दस्तावेजात चाहे थे। उक्त पत्र प्रदर्श पी-6 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी थानाधिकारी पुलिस थाना कनवास के हस्ताक्षर है। पत्र के क्रम में उसके द्वारा विद्यालय के लेटर पेड पर बालक "B" बैरवा की जन्म तिथि 11.08.2007 स्कॉलर रजिस्टर के आधार पर अंकित कर दी गई थी। बालक की जन्मतिथि के संबंध में उसके द्वारा जारी किया गया असल प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-7 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बालक का स्कूल में प्रवेश संबंधी प्रवेश रजिस्टर प्रदर्श पी-8 है जिस पर ए से बी भाग में बालक "B" के प्रवेश संबंधी समस्त विवरण अंकित है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श पी-8ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जो शामिल पत्रावली है। बालक का प्रवेश आवेदन पत्र प्रदर्श पी-9 है जिस पर ए से बी दो जगह पर उसके हस्ताक्षर हैं।

Authenticated Document

12. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि जब बालक "B" का प्रवेश स्कूल में कराया था उस समय वह विद्यालय में पदस्थापित नहीं थी। प्रदर्श पी-8 ए पर बालक की उम्र किस आधार पर लिखाई गई है उस डॉक्यूमेंट का अंकन नहीं है। यह सही है कि उसके सामने बालक "B" का प्रवेश स्कूल में नहीं हुआ, उसने जो भी बयान दिए वह प्रदर्श पी-8 व 9 के आधार पर दिए। वर्तमान में बालक "B" उनके विद्यालय में नहीं पढ़ता, साल 2021 में इसकी टी.सी. दे दी गई है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या-3 दिनेश कुमार ने सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 11.06.2024 को वह पुलिस थाना कनवास कोटा ग्रामीण पर कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन ऑपरेशन उमंग के तहत बाल श्रम की रोकथाम हेतु पुलिस थाना से 4.00 बजे करीब सादा वस्त्रों में वह, कानि. हरिराम, एएसआई पतराम के साथ बस स्टेण्ड कनवास की तरफ जा रहे थे तो एसबीजेएम स्कूल के पास कनवास मारूती वर्कशॉप के पास एक बालक गाड़ियों के टायर खोलकर सफाई करता हुआ नज़र आया जिस पर बालक की फोटोग्राफी एएसआई ने की और बालक को रोक कर स्वतंत्र गवाह तलाश करने हेतु उसे भेजा जिस पर उसने आस-पास लोगों से बात की परंतु कोई भी गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ।जिस पर उसने वापस आकर यह बात एएसआई को बताई। फिर जाब्ता में से उसे व हरिराम कानि. को गवाह बनाकर डिटेनशुदा बालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम "B" पुत्र धर्मराज उम्र 16 साल 6 माह होना बताया और बताया कि वह एक माह से इस मारूती वर्कशॉप पर बंटी उर्फ शहजाद हुसैन पुत्र शाकिर हुसैन निवासी कनवास के पास काम कर रहा है। वह सुबह आठ बजे से रात को नौ बजे तक काम करता है जिसके बदले में उसे पचास साठ रुपये रोज मिलते हैं। वह गाड़ी का टायर खोलना, सफाई करना व पार्टस खोलना व रिपेयरिंग आदि का काम करता है। इस प्रकार मारूती वर्कशॉप के मालिक बंटी उर्फ शहजाद हुसैन द्वारा बिना सुरक्षा उपकरणों के व बिना रेस्ट दिए बालक से लगातार बारह घण्टे काम करवाकर बालक का शारीरिक व आर्थिक शोषण किया जा रहा था। उक्त कार्य बाल श्रम अधिनियम व जे.जे. एक्ट के तहत अपराध होने के कारण बालक को संरक्षण में लिया जाकर थाने पर लेकर आए और वर्कशॉप के मालिक को तलाश किया तो वह नहीं मिला। फर्द संरक्षण व दस्तयाबी बालक "B" प्रदर्श पी-1 है, जिस पर ई से एफ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। एएसआई के द्वारा उसके सामने उनके मोबाइल से बाल श्रम करते हुए बालक के फोटो लिए गए थे जिसकी फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी-2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। घटना स्थल का नक्शा मौका उसके समक्ष बनाया गया था जो प्रदर्श पी-4 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

14. दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि कार्यवाही स्थल दुकान मेन रोड़ पर है और वहां पर सड़क पर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। मौके पर वे करीब साढे चार बजे शाम को पहुंचे थे।पुलिस थाना कनवास से मौके की दूरी करीबन ढाई से तीन किलोमीटर है। स्वतंत्र गवाहान की तलाशी के लिए वह गया था एवं उसने राहगीरों के नाम पते पूछे थे परंतु उन्होंने अपने नाम पते बताने से मना कर दिया था। इसलिए वह नहीं बता सकता कि उसने किन-किन से पूछताछ की थी। यह सही है कि उक्त दुकान के बगल में एक शकील भाई की दुकान थी। शकील की दुकान पर कोई काम करता हो तो उसे याद नहीं है, शकील की दुकान उस समय खुली हुई थी। शकील भाई का मकान भी वहीं पर हो और वह वहां पर परिवार सहित निवास करता हो तो वह नहीं कह सकता। यह सही है कि पास में ही राजू शर्मा व भूरालाल की भी दुकानें हैं। यह सही है कि कार्यवाही के समय उक्त दुकानें भी खुली हुई थी एवं पत्रावली पर लगे हुए फोटोग्राफ में बालक बैठा हुआ नज़र आ रहा है, काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। स्वयं कहा कि उसके सामने बालक मौके पर काम कर रहा था। बंटी की मारूती वर्कशॉप की दुकान है। यह सही है कि गाड़ी खराब होने पर आदमी परिवार सहित भी गाड़ी ठीक करवाने जाता है व अकेला भी जाता है। उसने दुकान मालिक बंटी की आस-पास पूछताछ नहीं की, एएसआई ने की थी कि वह कहां पर गया हुआ है। यह सही है कि बालक के द्वारा वर्कशॉप पर काम करने के संबंध में उनके द्वारा आस-पास पूछताछ नहीं की गई थी। बालक "B" दुकान मालिक बंटी का रिश्तेदार है या नहीं यह पूछताछ एएसआई ने की थी, उसे इस बारे में जानकारी नहीं है। उसने बालक से यह नहीं कहा कि वे उसका फोटो खीचेंगे। बालक से फोटो लेते समय कैमरा में देखने के लिए नहीं कहा था। बंटी उक्त वर्कशॉप कब से चला रहा था, इस संबंध में पूछताछ नहीं की गई। अगर बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन दस बारह साल से मौके पर वर्कशॉप चला रहा हो तो उसे जानकारी नहीं है। उसने एएसआई के कहने के बाद फर्दात को पढकर उस पर हस्ताक्षर किए थे। यह सही है कि समस्त कार्यवाही उसके समक्ष की गई थी। यह गलत है कि जानबूझकर स्वतंत्र गवाह बनाने की कोशिश नहीं की गई। काम करने के संबंध में बालक के माता-पिता से पूछताछ की गई या नहीं, इस बारे में उसे जानकारी नहीं है। मौके पर बालक "B" के माता-पिता को नहीं बुलाया गया। घानाहेड़ा गांव मौके से दस बारह किलोमीटर की दूरी पर है।

15. अभियोजन साक्षी संख्या-4 राजेन्द्र ने सशपथ कथन किये हैं कि वह पेट्रोल पम्प पर सेल्समेन का काम करता है। आज से लगभग साल भर पहले की बात है। उसकी दुकान आंवा चौराहे पर पेट्रोल पम्प के पास कनवास में बनी हुई है।

उसकी उक्त दुकान उसने बंटी भाई को किराये से दे रखी है। उसकी दुकान पर बंटी मारूती वर्कशॉप की दुकान चलाता है। उनके बीच में कोई किरायानामा नहीं बना हुआ है। बंटी उसका जानकार है इसलिए उसने बिना किसी किरायेनामा के ही उसे दुकान किराये पर दे रखी है। बंटी की दुकान पर बंटी खुद और एक शिवा नाम का लड़का काम करते हैं। उक्त दुकान उसने बंटी को तीन हजार रुपये महीने के हिसाब से किराये पर दे रखी है। उसके तो पुलिस वालों ने खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। बाद में उसे पुलिस के माध्यम से यह पता चला था कि बंटी की दुकान पर कोई नाबालिग बच्चा काम करता था।

16. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि बंटी को वह पांच छः साल से जानता है। बंटी अन्ता का रहने वाला है जो कनवास में निवास करता है। उसकी उक्त दुकान कनवास में 2021 से बनी हुई है। बंटी ने उसकी यह दुकान तीन साल से किराये पर ले रखी है। यह सही है कि उनकी किरायेदारी मौखिक ही है क्योंकि उसकी और बंटी की आपस में अच्छी जान पहचान और उठना बैठना है। वह रोज आते-जाते समय उसकी उक्त दुकान के सामने से ही होकर निकलता है। यह सही है कि कभी कभार उक्त दुकान पर जाकर दो चार दिन में चाय पानी भी पी लेता है। वह जब भी उसकी उक्त दुकान पर जाता है तो पन्द्रह से बीस मिनट तो बैठता ही है। उसने दुकान पर कभी भी "B" नाम के बालक को काम करते हुए नहीं देखा था। दुकान पर बंटी और उसके अलावा उसका एक हेल्पर शिवा नाम का व्यक्ति काम करता है। शिवा की उम्र 22-23 साल रही होगी। उसने जब से दुकान बंटी को किराये पर दी थी तब से उसके पास शिवा ही काम करता है। उसके अलावा उसने अन्य किसी को बंटी की दुकान पर काम करते हुए नहीं देखा था। पुलिस वालों ने पेट्रोल पम्प पर जाकर उससे खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे और पूछने पर कुछ नहीं बताया। उसकी राय में पुलिस ने बंटी के खिलाफ यह झूठी कार्यवाही की है।

17. अभियोजन साक्षी संख्या-5 हरिराम ने सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 11.06.2024 को पुलिस थाना कनवास, कोटा ग्रामीण पर कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन समय चार बजकर आठ मिनट पर वह और दिनेश कानि. पतराम एएसआई के साथ उमंग तृतीय बाल श्रम अभियान के साथ सादा वस्त्रों में मय अनुसंधान बॉक्स व लेपटॉप के मय प्राइवेट वाहन के रवाना होकर गस्त करते हुए आंवा चौराहा कनवास पर पहुंचे।वहां पर एसपीजेएम स्कूल के पास कार रिपेयरिंग शॉप पर पहुंचे तो वहां पर एक बच्चा काम करता हुआ नज़र आया जो कार का टायर खोलने का काम कर रहा था। एएसआई ने बालक की वीडियोग्राफी की एवं उसके नाम पते पूछे तो बालक ने अपना नाम "B" निवासी घानाहेड़ा का होना

बताया। बालक ने अपनी उम्र 16 साल 6 महीने बताई। एएसआई ने बाल श्रम के तहत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु दिनेश कानि. को रवाना किया जिसने कुछ समय बाद वापस आकर बताया कि आपसी रंजिश होने की वजह से कोई गवाह बनने को तैयार नहीं है। जिस पर जाब्ता में से उन दोनों कानि. को गवाह मामूर कर बच्चे को दस्तयाब किया। बच्चे से पूछताछ की तो बच्चे ने बताया कि वह दुकान पर दस ग्यारह घंटे काम करता है और दुकान मालिक बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन पुत्र शाकिर उसे पचास साठ रुपये प्रतिदिन के दे देता है। बच्चे को डिटेन कर अपने साथ थाने पर लेकर आए और एएसआई ने बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करवाया। फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी-1 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द वीडियोग्राफी प्रदर्श पी-2 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी-4 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

18. दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि बंटी की दुकान कनवास में मेन रोड़ पर है जो पक्की दुकान है। यह सही है कि उक्त रोड़ काफी व्यस्त रहता है और काफी वाहन इस रास्ते पर आते हैं। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि उक्त दुकान काफी वर्षों से चल रही हो। वह यह भी नहीं बता सकता कि इस प्रकार का कोई मुकदमा पूर्व में इस मुलजिम पर चला हो। जब्ती की कार्यवाही के दौरान दुकान का किरायानामा नहीं देखा गया था। यह सही है कि उक्त दुकान के एक तरफ स्कूल है व एक तरफ रिपेयरिंग की दुकानें हैं। यह सही है कि जब्ती की कार्यवाही के समय उक्त दुकानें खुली हुई थी। दिनेश ने स्वतंत्र गवाह बनने के लिए किन-किन व्यक्तियों से जाकर पूछा उनके नाम दिनेश ही बता सकता है वह नहीं बता सकता। एएसआई ने खुद के फोन से ही वीडियो बनाया था। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि जिस फोन से वीडियोग्राफी की गई थी उसकी उस समय हालत पूर्णत दुरुस्त थी इसके संबंध में मेकेनिक से प्रमाण पत्र लिया गया था या नहीं। बाद में मोबाइल से की गई वीडियोग्राफी की सीडी कहां पर बनाई थी, उसे जानकारी नहीं है उसके समक्ष तो वीडियोग्राफी की गई थी। उक्त दुकान के अगल बगल में भूरालाल व राजू शर्मा की भी दुकानें हों तो उसे उनके नाम याद नहीं है। यह सही है कि पत्रावली पर संलग्न फोटोग्राफ में बालक खड़ा हुआ व बैठा हुआ नज़र आ रहा है, काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह सही है कि कार्यवाही के समय बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन दुकान पर नहीं था। उस समय मुलजिम कहां पर गया हुआ था, इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। बालक के दुकान पर काम करने के संबंध में एएसआई ने आस-पास पूछताछ की थी, किनसे पूछताछ की थी उसे जानकारी नहीं है। आस-पास के लोगों के बयान बालक के दुकान पर काम करने के संबंध में एएसआई ने उसके समक्ष

नहीं लिए। फोटो लेने से पहले बालक को कहा था कि उसका फोटो ले रहे हैं। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि मौके पर बालक के पिता को बुलाया था या नहीं। बालक के पिता को फोन किया था या नहीं, उसे याद नहीं है। बालक घानाहेड़ा का रहने वाला था जो कनवास से करीब दस से बार किलोमीटर की दूरी पर है। फर्दात उनके सामने बनाई गई थी इसलिए उसने एएसआई के कहने के बाद फर्दात पर हस्ताक्षर किए थे। यह सही है कि पत्रावली पर संलग्न फोटोग्राफ में दुकान नज़र नहीं आ रही है। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि बालक फोटोग्राफ में जिस गाड़ी के पास खड़ा हुआ है उसके मालिक से भी पूछताछ की गई या नहीं एवं बालक मुलजिम का रिश्तेदार लगता था या नहीं। यह सही है कि जब कोई गाड़ी ठीक करवाने आता है तो परिवार के साथ भी आ जाता है और गाड़ी छोडकर चाय पानी पीने भी चला जाता है। बालक किसी के साथ आया हो इस बारे में एएसआई ने किसी से पूछताछ की हो तो उसकी जानकारी में नहीं है।

19. अभियोजन साक्षी संख्या-6 श्यामाराम ने जरिये वी.सी. सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 09.08.2024 को पुलिस थाना कनवास, कोटा ग्रामीण पर थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 115/2024 की पत्रावली अनुसंधान अधिकारी मुकेश शर्मा हैड कानि. द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्त बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन पुत्र शाकिर हुसैन के खिलाफ संपूर्ण अनुसंधान से धारा 3ए, 7/14 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम व धारा 75, 79 जे.जे. एक्ट का अपराध प्रमाणित मानते हुए उसके समक्ष पेश की थी। जिस पर उसके द्वारा सीओ सांगोद से अभियुक्त बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन के खिलाफ चालान आदेश प्राप्त कर चार्जशीट कता की जाकर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। चार्जशीट प्रदर्श पी-10 है, जिस पर प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त को जिरह का अवसर दिया गया परन्तु उनकी ओर से कोई जिरह नहीं की गई।

20. अभियोजन साक्षी संख्या-7 मुकेश शर्मा ने सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 11.06.2024 को पुलिस थाना कनवास, कोटा ग्रामीण पर हैड कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन पतराम एएसआई, आईसी थाना द्वारा प्रकरण संख्या 115/2024 धारा 3क, 7/14 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम व धारा 75, 79 किशोर न्याय अधिनियम का अनुसंधान उसके सुपुर्द किया था। जिस पर दिनांक 12.06.2024 को फरियादी पतराम एएसआई व गवाहान दिनेश कानि., हरिराम कानि., राजेन्द्र तथा ममता शर्मा के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किए गए। घटनास्थल का नज़री निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी-4 मुर्तिब किया जिस पर

जी से एच उसके हस्ताक्षर है। बालक का उम्र संबधी प्रमाण पत्र विद्यालय घानाहेड़ा से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया व प्रधानाध्यापक के बयान लेखबद्ध किए। प्रधानाध्यापक को लिखी गई तहरीर प्रदर्श पी-6 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। विद्यालय के लेटर हैड पर बालक की उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-7 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। विद्यालय का प्रवेश रजिस्टर प्रदर्श पी-8ए है, जिस पर सी से डी उसके शामिलकर्ता के रूप में हस्ताक्षर है। बालक का विद्यालय में प्रवेश का फार्म प्रदर्श पी-9ए है, जिस पर सी से डी उसके शामिलकर्ता के रूप में हस्ताक्षर हैं। बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन को धारा 41(ए) सीआरपीसी का नोटिस दिया गया जो प्रदर्श पी-11 है जिस पर ए से बी दो स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है व सी से डी भाग पर अभियुक्त का जवाब तथा ई से एफ अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। बालक के मौके पर काम करते हुए के फोटोग्राफ के प्रिंट निकलवाकर पतराम एएसआई ने उसे सुपुर्द किए थे, जो प्रदर्श पी-12 व प्रदर्श पी-13 हैं जो उसके द्वारा शामिल पत्रावली किए गए थे जिन पर उसके द्वारा शामिल पत्रावली किए जाने के रूप में ए से बी भाग पर हस्ताक्षर है। बाद संपूर्ण अनुसंधान अभियुक्त बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन के विरुद्ध अपराध धारा 3क, 7/14 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम व धारा 75, 79 किशोर न्याय अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही थानाधिकारी को सुपुर्द कर दी गई थी।

21. दौराने जिरह गवाह ने स्वीकार किया कि बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन की दुकान कनवास मेन रोड़ पर है एवं यह रोड़ चैबीस घंटे व्यस्त रहता है। यह सही है कि जिस रोड़ पर यह दुकान है उस रोड़ से थाने की गाड़ियां प्रतिदिन दो तीन बार गुजरती हैं। वह थाना कनवास पर घटना के दो साल पहले से पदस्थापित था। घटना से पहले उक्त बालक बंटी की दुकान पर काम करता हो तो उसने नहीं देखा क्योंकि उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उसे अनुसंधान उसी दिन सुपुर्द कर दिया गया था। यह सही है कि अभियुक्त बंटी की दुकान के पास में ही भूरालाल व शकील भाई की दुकान है व दूसरी तरफ एसबीजेएम स्कूल है। यह सही है कि बालक के बंटी की दुकान पर काम करने के संबंध में भूरालाल व शकील भाई के बयान नहीं लिए गए स्वयं कहा कि उस समय दुकानात बंद थी अतः इनके बयान नहीं लिए जा सके। राजू शर्मा उर्फ राजेन्द्र के बयान लिए गए थे। उसने आस-पास बालक के दुकान पर काम करने के संबध में पूछताछ की थी परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया एवं जिनसे पूछताछ की थी उनके नाम पते उसने दर्ज नहीं किए। यह सही है कि दुकान को बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन किराये से लेकर चलाता था। यह सही है कि जिस मोबाइल से फोटो लिए थे उसकी दुरुस्ती बाबत् किसी मैकेनिक से प्रमाण पत्र नहीं लिया गया

था। बालक की जन्म तिथि के संबंध में एसआर रजिस्टर में अंकित दिनांक किस आधार पर अंकित की गई थी, इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक द्वारा पेश नहीं किया गया और न ही प्रधानाध्यापक द्वारा जन्म की तारीख के संबंध में कुछ बताया। यह सही है कि बालक के माता पिता के बयान नहीं लिए गए थे और न ही नक्शा मौका की कार्यवाही के समय बालक के माता पिता को मौके पर बुलाया गया। बालक के माता पिता पास के गांव घानाहेड़ा में रहते है। यह सही है कि बालक के माता-पिता से वह मिला था परंतु उनके लिखित में कोई बयान नहीं लिए। यह वह नहीं कह सकता कि जब कोई गाड़ी का काम करवाने आता है तो परिवार के साथ आता है जिसमें बच्चे वगैरह होते हो। यह सही है कि फोटोग्राफ प्रदर्श पी-12 में बालक बैठा हुआ है व प्रदर्श पी-13 में कार के पास खड़ा हुआ है। यह सही है कि बालक के मौके पर काम करने के दौरान की कोई वीडियो क्लिप दस्तयाबी कार्यवाही कर्ता द्वारा पेश नहीं की गई। यह सही है कि जो फोटोग्राफ उसे पेश किए गए थे वे वैसी ही अवस्था में उसके द्वारा शामिल पत्रावली किए गए थे। यह सही है कि प्रदर्श पी-12 व प्रदर्श पी-13 फोटोग्राफ्स में बंटी की दुकान दिखाई नहीं दे रही है और न ही आस-पास का कोई लैण्डमार्क नज़र आ रहा है। स्वयं कहा कि प्रदर्श पी-13 फोटो में एक साइन बोर्ड नज़र आ रहा है परंतु यह सही है कि उस पर लिखा हुआ कुछ भी पढने में नहीं आ रहा है। यह सही है कि प्रदर्श पी-12 व प्रदर्श पी-13 फोटोग्राफ्स में जो कार नज़र आ रही है उसके मालिक के बयान इस कार्यवाही के संबंध में नहीं लिए गए। यह सही है कि उसके द्वारा मौके के कोई फोटोग्राफ नहीं लिए गए। यह सही है कि बालक किसी के साथ मौके की दुकान पर गया हो तो वह नहीं कह सकता। प्रदर्श पी-11 नोटिस के जवाब में मुलजिम द्वारा यह कहीं पर नहीं लिखा गया है कि बालक उसकी दुकान पर काम करता हो। वह यह नहीं बता सकता कि बंटी उर्फ सज्जाद हुसैन कब से उक्त दुकान चला रहा था, स्वयं कहा कि पत्रावली देखकर बता सकता है।

22. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर यह स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू. 1 पतराम द्वारा दिनांक 11.06.2024 को फर्द संरक्षण एवं दस्तयाबी प्रदर्श पी. 1 पेश करने पर यह प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें अभियुक्त द्वारा बिना सेफ्टी उपकरणों के, बिना विश्राम दिए लगातार 11-12 घण्टे से अधिक बालक से काम करवाकर बच्चों का आर्थिक शोषण कर कम मजदूरी देकर काम करवाने का कथन किया गया है। बालक की उम्र के सम्बन्ध में गवाह पी.डब्ल्यू. 2 ममता शर्मा कार्यवाहक प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय घानाहेडा सांगोद ने अपने बयानों में बालक का उसके सामने विद्यालय में प्रवेश नहीं

होना और विद्यालय के स्कॉलर रजिस्टर के आधार पर विद्यालय के लेटर पेड पर बालक की जन्मतिथि 11.08.2007 अंकित करने का कथन किया है और असल प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 7 को प्रदर्शित किया है। इस प्रकार बालक की जन्मतिथि 11.08.2007 होने के आधार पर घटना के दिन दिनांक 11.06.2024 को बालक की उम्र 16 वर्ष 10 माह होना प्रकट होती है। अतः बालक का घटना के दिन बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 2 में दी गई परिभषाओं के अनुसार "कुमार" होना साबित है।

23. इस सम्बन्घ में धारा 3क बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 इस प्रकार हैः-

> **3क. कतिपय परिसंकटमय उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में कुमारों का प्रतिषेध -** कोई कुमार, अनुसूची में उपजीविकाओं या प्रक्रियाओं में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा
> परंतु केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे अपरिसंकटमय कार्य की प्रकृति विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसमें किसी कुमार को इस अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

24. पत्रावली पर जो साक्ष्य आई है उसमें अभियोजन पक्ष नहीं बता पाया है कि किस परिसंकटमय व्यवसाय तथा प्रक्रिया के तहत अभियुक्त द्वारा यह अपराध कारित किया गया है। गवाहान के बयानों में मात्र यह आया है कि अभियुक्त के वर्कशॉप पर बालक B गाड़ियों के टायर खोलकर सफाई कर रहा था। फर्द दस्तयाबी बालक प्रदर्श पी.1 में यह अंकित है कि मारूति वर्कशॉप पर बालक गाड़ियों की साफ-सफाई करता एवं गाड़ी का टायर खोलकर साफ सफाई करता नजर आया। यही कथन पी.डब्ल्यू. 1 पतराम, पी.डब्ल्यू. 3 दिनेश कुमार व पी.डब्ल्यू. 5 हरिराम ने अपने बयानों में किये हैं कि बालक वर्कशॉप में काम कर रहा था, टायर खोल रहा था। इस संबंध में फोटो प्रदर्श पी.12 व पी.13 जो पेश किये हैं, उनमें प्रदर्श पी.12 में बालक बैठा होना व फोटो प्रदर्श पी.13 में खड़ा होना प्रकट होता है। अतः मेरे विनम्र मत में अभियुक्त बालक से धारा 3 के तहत अनुसूची में वर्णित परिसंकटमय व्यवसाय या काम करने के लिये काम करा रहा हो, ऐसा अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया है।

25. इस सम्बन्ध में धारा 7 बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 में यह दिया हुआ है किः-

> **7. काम के घंटे और कालावधि-** (1) किसी [कुमार] से किसी स्थापन में उतने घंटों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या

अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जो ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग के लिए विहित किए जाएं।

(2) प्रत्येक दिन काम की कालावधि इस प्रकार नियत की जाएगी कि कोई कालावधि तीन घंटे से अधिक की नहीं होगी और कोई [कुमार] कम से कम एक घंटे का विश्राम अन्तराल ले चुकने से पूर्व तीन घंटे से अधिक काम नहीं करेगा।

(3) किसी [कुमार] के काम की कालावधि की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वह उपधारा (2) के अधीन उसके विश्राम के अन्तराल सहित छह घंटों से अधिक की नहीं होगी, जिसके अन्तर्गत किसी दिन काम के लिए प्रतीक्षा में बिताया गया समय भी है।

(4) किसी [कुमार] से 7 बजे सायं और 8 बजे प्रातः के बीच काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(5) किसी [कुमार] से अतिकाल में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(6) किसी [कुमार] से किसी स्थापन में ऐसे दिन काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जिस दिन वह पहले से ही किसी अन्य स्थापन में काम कर रहा हो।

26. पत्रावली पर इस संबंध में पी.डब्ल्यू. 1 पतराम के बयानों से यह स्पष्ट है कि उसने बालक के कहने के आधार पर यह बताया है कि उसे आंशिक मजदूरी देकर काम कराया जाता है लेकिन पत्रावली पर इसकी जिरह से स्पष्ट है कि इसने बालक के बयान नहीं लिये थे, न ही उसके माता-पिता को बुलाकर पूछताछ की। पी.डब्ल्यू. 3 दिनेश कुमार भी कहता है कि बालक ने बताया कि वह सुबह 08 बजे से रात को 09 बजे तक काम करता है। उसे 50-60 रूपये रोज मिलते हैं। पी.डब्ल्यू. 5 हरिराम ने भी यही कहा है कि बालक ने पूछने पर बताया कि वह दुकान पर 10-11 घण्टे काम करता है और दुकान मालिक उसे 50-60 रूपये प्रतिदिन दे देता है। मेरे विनम्र मत में सबसे महत्वपूर्ण बालक के बयान अभियोजन पेश कर सकता था, न तो अभियोजन पक्ष ने बालक B के बयान करवाये हैं, न ही उसके माता-पिता के बयान कराये गये हैं। पत्रावली पर इन गवाहान के बयानों से यह भी सामने आया है कि अभियुक्त की दुकान के पास में ही शकील भाई, राजू शर्मा व भूरालाल आदि की दुकानें हैं लेकिन किसी भी अड़ोसी पड़ोसी दुकानदार को पेश नहीं किया है। किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि बालक वहाँ काम करता हो। इस संबंध में स्वतंत्र गवाह

पी.डब्ल्यू. 4 राजेन्द्र पेश हुआ है। यह उक्त दुकान का मालिक है, जिसने अभियुक्त बण्टी को उक्त दुकान किराये पर दे रखी है। यह गवाह स्पष्ट रूप से कहता है कि उसने बालक को काम करते हुए नहीं देखा, अपितु उसके बयानों से स्पष्ट है कि उसने एक अन्य वयस्क व्यक्ति शिवा को काम करते देखा। यह गवाह कहता है कि वह दो चार दिन में चाय-पानी पीने वहाँ जाता है। अतः यह स्वतंत्र गवाह भी स्पष्ट रूप से इनकार कर रहा है कि बालक B अभियुक्त की वर्कशॉप पर काम करता हो।

27. अभियोजन की ओर से बालक को 50-60 रूपये प्रतिदिन देने का जो कथन किया गया है, उस संबंध में न तो कोई हिसाब-किताब पेश किया गया है, न ही कोई रजिस्टर पेश किया गया है, बालक के बयान भी पत्रावली पर नहीं है, न ही उसके माता-पिता के बयान कराये गये हैं, किसी भी स्वतंत्र गवाह ने भी ताईद नहीं की है। बालक अभियुक्त की वर्कशॉप पर नियोजित हो और अभियुक्त उसको 50-60 रूपये प्रतिदिन के देता हो, ऐसा अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया है।

28. इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 7 मुकेश शर्मा के बयान महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसने यह कथन किया है कि यह दुकान जिस रोड पर है वहां से थाने की गाड़ियाँ प्रतिदिन दो-तीन बार गुजरती हैं। उसने पूर्व में उस बालक को काम करते नहीं देखा। फर्द दस्तयाबी बालक प्रदर्श पी.1 से स्पष्ट है कि बालक को दिनांक 11.06.2024 को 04:40 पीएम पर दस्तयाब किया गया है। बालक वहाँ कितने बजे आया और कितने बजे से काम कर रहा था और उसके सामने बालक को कोई रूपये आदि दिये हों, अभियोजन की ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।मेरे विनम्र मत में अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि बालक, अभियुक्त की वर्कशॉप पर नियोजित हो, किसी भी गवाह ने बालक को वहाँ काम करते हुए देखने का कथन नहीं किया है। किसी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है। थाने वालों ने भी नहीं कहा है कि उन्होंने बालक को पूर्व में वहाँ काम करते देखा हो, न ही अभियोजन पक्ष यह साबित कर पाया है कि बालक प्रातः 08 बजे से रात्रि 09 बजे तक लगातार काम करता हो। अतः बालक, अभियुक्त की वर्कशॉप पर नियोजित हो और बिना किसी विश्राम के करीब 13 घण्टे तक वहाँ काम कर रहा हो, ऐसा अभियोजन पक्ष मेरे विनम्र मत में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

29. इस सम्बन्घ में धारा 75 व 79 किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 इस प्रकार हैंः-

> **75. बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड -** जो कोई बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उस बालक पर ऐसी रीति से, जिससे उस बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट

होना संभाव्य हो, हमला करेगा, उसका परित्याग करेगा, उत्पीड़न करेगा, उसे उच्छन्न करेगा या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करेगा या उस पर हमला किया जाना, उसका परित्याग, उत्पीड़न, उच्छन्न या उसकी उपेक्षा किया जाना कारित करेगा या ऐसा किए जाने के लिए उसे उपाप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या एक लाख रुपए तक के जुमनि से या दोनों से दंडनीय होगा :

79. किशोर बालक कर्मचारी का शोषण - तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो कोई किसी नियोजन के प्रयोजन के लिए बालक को दृश्यमानतः लगाएगा या उसे बंधुआ रखेगा या उसके उपार्जनों को विधारित करेगा या उसके उपार्जन को अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी और एक लाख रुपए के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "नियोजन" पद के अन्तर्गत माल और सेवाओं का विक्रय और आर्थिक लाभ के लिए लोक स्थानों में मनोरंजन करना भी आएगा ।

30. पत्रावली पर स्पष्ट है कि इस प्रकरण में बालक B के काम करने के संदर्भ में जो गवाह परीक्षित हुए हैं, उनमें पी.डब्ल्यू. 1 पतराम है, जिसने बालक को वहाँ काम करते देखने का कथन किया है लेकिन इसकी जिरह से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की गाड़ी खराब होने पर यदि उसके साथ उसके बच्चे भी सफर कर रहे हों तो बच्चे भी उसके साथ जाते हैं। पत्रावली पर पी.डब्ल्यू. 3 दिनेश कुमार के बयानों से भी स्पष्ट है कि यह बालक से पूछने के आधार पर उसका काम करना और 50-60 रूपये मिलना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 5 हरिराम भी बालक के कहने के आधार पर 10-11 घण्टे काम करने का कथन करता है।

31. मेरे विनम्र मत में अभियोजन की ओर से बालक B को बतौर गवाह पेश नहीं किया गया है, जो वहाँ काम कर रहा हो और उसे पचास-साठ रूपये मिलते हों, क्योंकि इस प्रकरण में प्रत्यक्ष साक्ष्य का नितांत अभाव है कि बालक अभियुक्त की वर्कशॉप पर नियोजित हो और उसे पचास-साठ रूपये प्रतिदिन मिलते हों, बालक दस-ग्यारह घण्टे से अधिक काम करता हो। क्योंकि उक्त वर्कशॉप पर न तो अभियुक्त उस समय उपस्थित था, इसके अतिरिक्त दुकान से किसी प्रकार का कोई हाजिरी

रजिस्टर या कोई हिसाब किताब का कोई लेखा भी जब्त नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो कि बालक वहाँ पर काम कर रहो।

32. पत्रावली पर किसी भी स्वतंत्र गवाह को पेश नहीं किया गया है, जबकि इन गवाहान के बयानों से साबित है कि उक्त वर्कशॉप के पास शकील भाई, राजू शर्मा व भूरालाल की दुकानें खुली थीं, लेकिन किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि बालक वहाँ काम करता हो। इस संबंध में पी.डब्ल्यू. 4 राजेन्द्र को पेश किया गया है जो दुकान का मालिक है, उसने भी बालक के काम करने के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा है, अपितु शिवा का वहाँ काम करने का कथन किया है और इसके बयानों से स्पष्ट है कि वह 2-4 दिन में चाय-पानी पीने के लिये वहाँ जाता रहता है, लेकिन इसने बालक को वहाँ काम करते हुए देखने के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा है।

33. इस संबंध में बालक के फोटो पेश कर यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि बालक अभियुक्त की वर्कशॉप पर नियोजित था। मेरे विनम्र मत में फोटो प्रदर्श पी.12 व 13, पी.डब्ल्यू. 1 पतराम द्वारा लेने का कथन किया गया है और उसके द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी.2 पेश किया गया है लेकिन पत्रावली पर उक्त मोबाइल को पेश नहीं किया गया है, मोबाइल से फोटो किसने तैयार किये, ऐसा भी अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया है।

34. जहाँ तक फोटोग्राफ्स का संबंध है, पी.डब्ल्यू. 3 दिनेश कुमार कहता है कि उसने बालक को यह नहीं कहा कि तेरा फोटो खींचेंगे, जबकि पी.डब्ल्यू. 5 हरिराम कहता है कि फोटो लेने से पहले बालक को कहा था कि तेरा फोटो ले रहे हैं। अतः इस संबंध में भी विरोधाभास है कि बालक वहाँ काम कर रहा हो। पत्रावली पर स्वयं आईओ पी.डब्ल्यू. 7 मुकेश शर्मा का यह कथन है कि जिस रोड पर दुकान है उस रोड से थाने की गाड़ियाँ प्रतिदिन दो तीन बार गुजरती है। वह दो साल से पदस्थापित है, घटना से पहले उक्त बालक को अभियुक्त की दुकान पर काम करते हुए नहीं देखने का कथन किया है। अतः पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिससे बालक का अभियुक्त की वर्कशॉप पर करीब तेरह घण्टे काम करना साबित होता हो, बालक का किसी प्रकार का कोई शोषण किया गया हो तथा अभियोजन पक्ष बालक का वहाँ नियोजित होना भी साबित नहीं कर पाया है और न ही यह साबित कर पाया है कि अभियुक्त बालक को प्रतिदिन 50-60 रूपये देकर बालक से करीब 13 घण्टे लगातार काम कराता हो, क्योंकि किसी भी स्वतंत्र गवाह को पेश नहीं किया गया है तथा स्वतंत्र गवाह पी.डब्ल्यू. 4 राजेन्द्र जो पेश हुआ है, वह बालक का वहाँ काम करने से स्पष्ट रूप से इनकार करता है। अतः

मेरे विनम्र मत में अभियोजन पक्ष, अभियुक्त द्वारा बालक का कोई शोषण किया गया हो या उसके प्रति कोई क्रूरता की गई हो, यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

35. अतः अभियुक्त बन्टी उर्फ सज्जाद हुसैन को अपराध अन्तर्गत धारा 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम तथा धारा 3 क सपठित धारा 14 व धारा 7 सपठित धारा 14 बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आ दे श

36. अतः अभियुक्त बन्टी उर्फ सज्जाद हुसैन पुत्र शाकिर हुसैन, निवासी कनवास, थाना कनवास जिला कोटा को अपराध अन्तर्गत धारा 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम तथा धारा 3 क सपठित धारा 14 व धारा 7 सपठित धारा 14 बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की ओर से न्यायालय में नियमित उपस्थिति हेतु पूर्व में प्रस्तुत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।

37. अभियुक्त को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्ष संहिता के प्रावधानान्तर्गत अपीलीय न्यायालय अथवा यथास्थिति उच्चतर न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000/- रुपए की राशि का निजी बंधपत्र एवं इसी राशि की जमानत इस न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत करे।

(सत्यनारायण व्यास)

निर्णय व आदेश आज दिनांक 16.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण व्यास)

Authenticated Document

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.18 12:05:29 IST